खान आयुक्त का न्यायालय

विविध वाद संख्या– 05/2026

जिला–शेखपुरा

कात्यायनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा0 लि0 .... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, शेखपुरा एवं अन्य .... प्रतिपक्ष

आदेश

14.08.2026

1. वर्तमान कार्यवाही माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No–3848/2026 कात्यायनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा0 लि0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.06.2026 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में प्रारंभ की गयी है।

2. अभ्यावेदनकर्त्ता का कहना है कि उनके पक्ष में शेखपुरा जिलान्तर्गत मौजा–नीरपुर स्थित पत्थर भूखंड ब्लॉक संख्या–18, दिनांक–10.02.2016 से 09.02.2021 तक स्वीकृत था। पट्टा अवधि समाप्ति के पश्चात् लगभग 73,30,026.45 घनफीट बोल्डर/स्टोन/डस्ट पट्टा क्षेत्र में पड़ा हुआ था। उनके द्वारा दिनांक–10.02.2021 के अभ्यावेदन से खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा को उक्त खनिज की मात्रा उठाव के लिए 06 माह का समय देने एवं चालान निर्गत करने का अनुरोध किया गया। समाहर्त्ता, शेखपुरा द्वारा निरीक्षण के उपरान्त निदेशक, खान से 61,73,474.50 घनफीट पत्थर उठाव की अनुमति के लिए अनुशंसा की गई। समाहर्त्ता के अनुशंसा के आलोक में निदेशक, खान के पत्रांक 2444, दिनांक–19.06.2024 से उन्हें 03 माह के अंदर 61,73,474.50 घनफीट खनिज उठाव की अनुमति दी गई। सहायक निदेशक, शेखपुरा के पत्रांक–24, दिनांक 10.01.2025 से उन्हें पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज भंडारण के लिए दंड के मद में रु0 87,63,037/– एवं रायल्टी के रूप में रु0 66,65,981/– कुल रु0 1,54,29,018/– का मांग पत्र निर्गत किया गया। उनके द्वारा कुल रु0 15570500/– दिनांक 12.03.2025 को भुगतान कर दिया गया एवं 06 माह का समय खनिज उठाव

हेतु देने का अनुरोध किया गया किन्तु खनिज उठाव के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर चालान निर्गत नहीं किया गया। उनके द्वारा इस संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.–3848/2026 दायर किया गया। याचिका के लंबित रहने के दौरान अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–2309, दिनांक–02.04.2026 से खनिज उठाव के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया एवं समाहर्त्ता, शेखपुरा के पत्रांक–595, दिनांक–05.04.2026 द्वारा उक्त भंडारित खनिज को जप्त कर लिया गया। उक्त दोनों पत्रों को उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष IA दायर कर चुनौती दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–18.06.2026 को आदेश पारित किया गया है, जिसके आलोक में वर्तमान अभ्यावेदन समर्पित है।

अभ्यावेदनकर्त्ता का आगे यह अनुरोध है कि उनके द्वारा देय स्वामिस्व की राशि पूर्व में ही जमा करा दी गयी है। अतएव उन्हें 61,73,474.50 घनफीट खनिज उठाव की अनुमति दी जाए। वह इस संबंध में सभी शर्तों एवं बंधेजों का पालन करने को तैयार हैं।

3. खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा अभ्यावेदनकर्त्ता के खनन पट्टा संचालन के संबंध में मासिक विवरणी के आधार पर निम्न मात्रा प्रतिवेदित किया गया हैः–

उत्खनित/उत्पादित खनिज की मात्रा	प्रेषित खनिज (स्टोन एवं डस्ट) की मात्रा	शेष भंडारित खनिज की मात्रा
48332961.50 CFT 1933318.46 MT	41002935.55 CFT 1640117.42 MT	7330025.95 CFT 293201.04 MT

साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि बंदोबस्ती अवधि के दौरान प्रेषित खनिज की रायल्टी रु0 12,54,59,581/– है एवं कुल बंदोबस्ती राशि रु0 14,50,00,000/– है। जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा पट्टा क्षेत्र में शेष भंडारित खनिज की मापी के उपरान्त कुल भंडारित मात्रा 61,73,474.50 घनफीट का स्वामिस्व रु0 2,62,06,400/– होता है, जिसे बंदोबस्ती अवधि में प्रेषित खनिज के समतुल्य रायल्टी की राशि से जोड़ने के पश्चात् अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देय रु0 66,65,981/– का भुगतान पट्टेधारी द्वारा दिनांक 12.03.2025 को किया गया है।

4. अभ्यावेदनकर्त्ता को सुना एवं अभिलेखों का परिशीलन किया। सहायक निदेशक, शेखपुरा के पत्रांक–311, दिनांक–19.03.2024 एवं समाहर्त्ता, शेखपुरा के पत्रांक–1359, दिनांक–16.11.2023 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शेखपुरा जिलान्तर्गत पट्टा अवधि समाप्त हो चुके मौजा–नीरपुर के ब्लॉक संख्या–18 के पत्थर खनन भूखंड पर शेष भंडारित 2,46,938.98 MT (61,73,474.50 घनफीट) खनिज उठाव हेतु 03 माह की अनुमति सशर्त दी गयी थी। पट्टेधारी द्वारा पत्रांक–2444, दिनांक–19.06.2024 से उत्खनित पत्थर उठाव हेतु 03 माह का समय देने के बावजूद पत्थर उत्खनित नहीं करने एवं अपनी सुविधानुसार उठाव की अनुमति एवं ई–चालान चालू करने के अनुरोध को विभागीय पत्रांक–2309, दिनांक–02.04.2026 से अस्वीकृत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.–3848/2026 में दिनांक–18.06.2026 के आदेश से मामले को रिमांड बैक करते हुए नये सिरे से नियमानुसार निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय का आदेश के कार्यकारी बिन्दु निम्नप्रकार हैः–

> "23. This Court has already recorded the hide and seek game of both the petitioner and the Mines Department and it is made clear that if the petitioner fails to approach the said respondents in next three weeks, the respondents shall be free to take immediate steps for forfeiting the left over materials.
>
> 24. On the other hand, if the petitioner approaches in next three weeks, the respondents are duty bound to follow a time frame in which an order is to be passed which this court restricts to eight weeks from the date, the petitioner approaches the concerned respondent."

5. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, अभ्यावेदनकर्त्ता के अभ्यावेदन एवं खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शेखपुरा जिलान्तर्गत पत्थर भूखंड ब्लॉक संख्या–18 में पट्टा अवधि में उत्खनित एवं पट्टा क्षेत्र में भंडारित खनिज 61,73,474.50 घनफीट के उठाव के लिए 04

माह की अनुमति एवं ई–चालान उपलब्ध कराने का निदेश निम्न शर्तों पर दिया जाता है:–

(i) प्रेषण स्थल पर CCTV का अधिष्ठापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा एवं 24X7 CCTV निगरानी में ही प्रेषण किया जाएगा। धर्मकांटा का भी अधिष्ठापन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन/क्रसिंग/ब्लास्टिंग आदि का कार्य किसी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

(iii) खनिज का प्रेषण वैध ई–चालान के साथ ही किया जाएगा।

(iv) खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा तत्कालीन पट्टेधारी कात्यायनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा0 लि0 से प्रेषित पत्थर के लिए लागू नये अधिसूचित स्वामिस्व दर से अनुमान्य अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान कराया जाएगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारी द्वारा अधिष्ठापित क्रशर, उपलब्ध मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को जप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा की होगी।

(v) अंतिम खान समापन योजना का अनुपालन तत्कालीन पट्टेधारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं, उसे भी खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अनुपालन हेतु भेज दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 5391 एम0, पटना, दिनांक– 18/08/26

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, शेखपुरा / खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा / कात्यायनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा0 लि0, 144–परेव, बिहटा, जिला–पटना, पिन न0–802160 ई–मेल– katyaynicontrator@gmail.com/avinashshekhar05@gmail.com/ आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

18/8/26

विधि पदाधिकारी